

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 133/प्र0अ0-भवन/जोन-1/N.H/2012-13 दिनांक 31/05/2014


विनियमितीकरण-ए








यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर नर्सिंग होम (प्रीति हॉस्पिटल) का निर्माण/उपयोग विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती प्रीति गुप्ता पत्नी डा0 अनिल कुमार गुप्ता, श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री राम चन्द्र गुप्ता, श्री अमित कुमार गुप्ता व श्री अनुज कुमार गुप्ता पुत्रगण श्री अनिल कुमार गुप्ता द्वारा भूखण्ड संख्या-28 व 29 पन्ना लाल रोड इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 30-05-2014 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा तथा यह भी अंकित किया जाय कि नर्सिंग होम में संकामक रोगों का इलाज नहीं किया जाता है।
3. स्थल पर 12 अद्द वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से की जायेगी। इस हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक 05.04.2014 का अक्षरशः अनुपालन किया जाना बाध्यकारी होगा।
5. स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
6. मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं हैण्डलिंग रूल्स 1998 अथवा अन्य प्रभावी नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा समय-समय पर नवीनीकरण भी कराया जाय।
7. प्रासंगिक मानचित्र अधिकतम 20 बेड हेतु विनियमित किया गया है। अतिरिक्त बेड पाये जाने पर स्वीकृति निरस्त किये जाने योग्य होगी।
8. मानचित्र में दर्शित अशमनीय भाग को स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर स्वतः ध्वस्त कराकर इ0वि0प्रा0 को सूचित करना होगा, इस हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक 19.12.2013 का अनुपालन बाध्यकारी होगा, अन्यथा इसे इ0वि0प्रा0 द्वारा स्वतः ध्वस्त करा दिया जायेगा और इस पर होने वाला व्यय भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूला जायेगा।
9. पुलिस अधीक्षक-यातायात इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-आर/एसपीटी/सी-15/2014 दि0 20.05.2014 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)

Continued


 31/5/14 } LA - भौ. 9919510003



COMPOUND AREA CHART DETAIL -

FLOOR	SACT AREA	EXIS PERM AREA	F.S.B. COMP. AREA	S.S.B. (1)	S.S.B. (2)	F.S.S. (1+2)	TOTAL	DISENTAIL AREA
G.F.	504.85	203.22	707.27	23.25	21.23	10.18	729.91	180.89
F.F.	354.41	352.85	707.27	21.16	21.23	13.32	74.88	190.69
S.F.	NI	707.27	707.27	21.16	21.23	13.32	225.33	190.69
							225.33	482.07

NOTE -

LIME CONC. IN FOUNDATION FLOORING OVER R.C. SLAB
 TOTAL PLOT AREA = 1242.45+1112.00 = 2354.45 M²
 NET PLOT AREA = 200.00 M²
 PARKING AREA = 2154.45 M²
 COVERED AREA ON G.F. = 782.13 M²
 COVERED AREA ON F.F. = 782.13 M²
 OPEN AREA ON G.F. = 1550.57 M²
 MUNITY AREA = 12.79 M²
 CAR PARKING = 26 NOS.
 APPROX = 1.08 APPROX

EXISTING & COMPOUNDING BUILDING PLAN OF NURSING HOME ON PART OF PREMISES NO. 28 & 29 PANNA LAL ROAD (PARK ROAD) ALHABAD

OWNER:-
 DR. ANIL KUMAR GUPTA
 S/O. MR. PRAKASH CHANDRA GUPTA

SCALE 1:100
 E. V. K. MEHTA
 ARCHT. & CIVIL ENGRG.
 63, VASANT VIHAR, DELHI-110029
 MOBILE: 9152127059



SECTION AT A-B
 FRONT ELEVATION
 TERRACE PLAN